

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-214 / 16संस्थित दिनांक-02.05.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मालनपुर

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

विरुद्ध

मौहम्मद खां पुत्र आशिक खॉ उम्र 27 साल

निवासी मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियोगी

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 06.07.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर आबकारी अधिनियम (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 34-1-क के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 21.01.16 को समय 20:40 बजे, एस0आर0एफ0 तिराहा मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में 25 क्वार्टर देशी शराब बिना वैध अनुज्ञा के विक्रय हेतु रखे पाए गए।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना मालनपुर पर पदस्थ प्र0आर0 कल्याण सिंह दिनांक 23.03.16 को होली का त्यौहार होने से कस्बा भ्रमण कर रहे थे तभी उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति आर0टी0ओ0 आफिस के पास रोड किनारे शराब बेच रहा है तब वे और सैनिक महेशसिंह सूचना की तस्दीक हेतु सहायक उपनिरीक्षक सुभाष पाण्डे को अवगत कराकर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति कागज के कार्टून में देशी शराब रखकर बेच रहा था। पुलिस को देखकर भागा तो फोर्स की मदद से पकड़ा, नाम पूछने पर अपना नाम मौहम्मद खॉ बताया। कार्टून खोलकर देखा तो उसमें देशी मदिरा के पच्चीस क्वार्टर रखे थे जिन्हें बेचने का लायसेंस चाहे जाने पर अभियुक्त ने लायसेंस न होना बताया। अभियुक्त का अपराध 34 आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय होने से मौके पर जब्तकर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया। थाने पर लाकर अपराध क्रमांक 46/16 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान कथन लेखबद्ध किए गए। जब्तशुदा शराब के नमूने की जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.01.16 को समय 20:40 बजे, एस0आर0एफ0 तिराहा मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में 25 क्वार्टर देशी शराब बिना वैध अनुज्ञा के विक्रय हेतु रखे पाए गए ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में संतोष शर्मा अ0सा0 1, कल्यानसिंह तोमर अ0सा0 2, रमेश सिंह अ0सा0 3, विनोद सल्लाम अ0सा0 04, महेश कौरव अ0सा0 05 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. प्रकरण में जब्तीकर्ता अधिकारी कल्याणसिंह अ0सा0 2 कथन करते हैं कि दिनांक 23.03.16 को वे थाना मालनपुर में प्र0आर0 गश्ती के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को एसआई सुभाष पाण्डे व सैनिक महेशसिंह के साथ होली ड्यूटी में पेट्रोलिंग हेतु कस्बा भ्रमण कर रहे थे तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति आरटीओ बैरियर के पास शराब बेच रहा है। साक्षी ने एसआई पाण्डे को बताया उसके बाद सैनिक महेश को लेकर मुखबिर के बताए स्थान पर गया जहां एक व्यक्ति कागज का कार्टून लिए खड़ा था जो उन्हें देखकर भागने लगा तो उसने व महेश ने दौड़कर पकड़ लिया। कार्टून खोलकर देखा तो उसमें सफेद शराब के 25 क्वार्टर रखे थे, जिनके बेचने का लायसेंस पूछे जाने पर लायसेंस न होना बताया। साक्षी अभियुक्त से उक्त 25 क्वार्टर शराब जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1 बनाए जाने जिस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है। तत्पश्चात् अभियुक्त को गिर0 कर गिर0 पत्रक प्र0पी0 2 बनाए जाने जिस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। थाना वापस आकर प्र0पी0 4 के रूप में अपराध पंजीबद्ध किए जाने जिस पर अपने ए से ए व बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

7. प्रकरण में जब्ती साक्षी संतोष शर्मा अ0सा0 1 पक्षविरोधी घोषित कर दिया गया जो अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त को पहचानने एवं उसके समक्ष किसी प्रकार की जब्ती, गिरफ्तारी होने के तथ्य से इंकार करते हैं। यद्यपि प्र0पी0 1 व 2 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर स्वीकार करते हैं किन्तु हस्ताक्षरों का कारण बताते हैं कि वे ग्राम रक्षा समिति में होने से पुलिस के साथ रहते हैं इस कारण से हस्ताक्षर कर दिए थे। ऐसे में इस साक्षी की अभिसाक्ष्य से अभियोजन के मामले को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। जब्ती व गिरफ्तारी का अन्य साक्षी सैनिक महेश कौरव अ0सा0 5 है जो अपने साक्ष्य में कल्याणसिंह अ0सा0 2 के कथनों का समर्थन करते हैं और दिनांक 23.03.16 को आरटीओ आफिस के पास अभियुक्त के आधिपत्य से 25 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा के विक्रय हेतु पाए जाने का समर्थन करते हैं। प्र0पी0 1 व 2 पर इनके सी से सी भाग पर हस्ताक्षर हैं।

8. प्रकरण में इस प्रकार से किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रकरण में उसके विरुद्ध मिथ्या कार्यवाही की गयी है और किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा समर्थन न करने से अभियोजन का मामला प्रमाणित न होने का तर्क प्रस्तुत किया है। यद्यपि साक्ष्य का ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस साक्ष्य पर अविश्वास किया जाए अथवा पुलिस साक्षी की अपुष्ट साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती। किन्तु पुलिस साक्ष्य की दशा में उस साक्षी को भी साधारण साक्षी की भांति सत्यता की कसौटी पर प्रमाणित होना आवश्यक है। कल्यानसिंह अ0सा0 2 जो अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह बताते हैं कि कस्बा भ्रमण हेतु सुबह 8 बजे निकले थे और जिस समय मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई उस समय मालनपुर चौराहे पर थे और रात के 8 बजे थे जबकि जब्ती साक्षी सैनिक महेश अ0सा0 5 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह कथन करता है कि थाने से शाम सात बजे शासकीय गाडी से रवाना हुए थे। कल्यानसिंह अ0सा0 2 जो कि कार्यवाही कर्ता हैं, वे कण्डिका 2 में पूछे जाने पर कि प्रकरण में संलग्न रोजनामचा सान्हा क्रमांक 25 में 18:38 बजे शाम का समय लेख है तो साक्षी यह कथन करता है कि रोजनामचा में लिखी बात सही है और उसके द्वारा कस्बा भ्रमण हेतु सुबह निकलने की बात झूठी है। ऐसे में साक्षी का प्रथमदृष्ट्या कथन ही संदेह की परिधि में आ जाता है।

9. कल्यानसिंह अ0सा0 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में यह बताते हैं कि गिरफ्तारी एवं जब्ती की कार्यवाही के समय उसके अलावा सैनिक महेश था स्वतः कथन करते हैं कि संतोष शर्मा नाम का व्यक्ति मौके से निकल रहा था तो उसे बुला लिया था। यहां सैनिक महेश अ0सा0 5 के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 उल्लेखनीय है जिसमें साक्षी यह कथन करता है कि उसके साथ प्र0आर0 कल्याणसिंह, एसआई सुभाष पाण्डे, संतोष शर्मा और एक अन्य व्यक्ति रवाना हुआ था। संतोष शर्मा नगर रक्षा समिति में हैं, यह भी कथन करता है। संतोष शर्मा अ0सा0 1 के कथन की पुष्टि सैनिक महेश अ0सा0 5 करता है जो कि अभियोजन के मामले में संदेह की एक परिस्थिति उत्पन्न करता है। जहां जब्ती साक्षी कल्यानसिंह अ0सा0 2 मौके पर साक्षी संतोष अ0सा0 1 का मिलना बताते हैं इसके विपरीत सैनिक महेश अ0सा0 5 थाने से संतोष का साथ में रवाना होने का कथन करते हैं। ऐसे में कल्यानसिंह अ0सा0 2 के कथन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता है।

10. प्रकरण में कल्यानसिंह अ0सा0 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में बताते हैं कि घटनास्थल आरटीओ बैरियर से थाना लगभग आधा किमी0 दूर है। साक्षी इसी कण्डिका में बताता है कि कस्बा भ्रमण हेतु वे पैदल गए थे और उनके पास डण्डे व रायफल थीं। सैनिक महेश अ0सा0 3 के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 इस संबंध में महत्वपूर्ण है जो बताते हैं कि थाने से शाम के करीब 7 बजे शासकीय गाडी से रवाना हुए थे। साक्षी कल्यानसिंह अ0सा0 2 कण्डिका 4 में बताते हैं कि जब्ती व

गिरफ्तारी की कार्यवाही के तुरंत बाद सीधे पैदल थाने आए किसी अन्य जगह नहीं गए। जबकि सैनिक महेश अ0सा0 5 शासकीय वाहन से रवाना होने का कथन करते हैं। ऐसे में उक्त दोनों ही साक्षी के अभिसाक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रकट हो रहे हैं।

11. साक्षी महेश अ0सा0 5 जो कि जब्ती का साक्षी बताया है वह अपने अभिसाक्ष्य में यह बताने में अस्मर्थ है कि अभियुक्त कौनसे रंग के क्या कपड़े पहने था, कितनी उम्र, कितनी उचाई का था। यह भी याद न होना बताते हैं कि अभियुक्त ने कितने तक पढा होने की बात प्र0आर0 को बताई थी। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में अभियुक्त को पहचानने के संबंध में अस्मर्थता व्यक्त करता है। ऐसे में अभियोजन की साक्ष्य में उपरोक्त विरोधाभासों को देखते हुए साक्षीगण की अपुष्ट व पारस्परिक खण्डनीय साक्ष्य पर विश्वास किए जाने का उचित आधार प्रतीत नहीं होता है।

12. प्रकरण में विनोद सल्लाम अ0सा0 4 जब्तशुदा चार पाव देशी मदिरा के सैम्पल लाए जाने पर उनका परीक्षण किए जाने उक्त सैम्पल में देशी मदिरा होना पाए जाने का कथन करते हैं। साक्षी यह स्वीकार करते हैं कि जो मदिरा जांच हेतु प्राप्त हुई वह आबकारी ठेकों पर विक्री हेतु उपलब्ध रहती है। साक्षी यह भी बताने में अस्मर्थ है कि उनके पास भेजे गए नमूनों में कितनी सीलें लगी थी और किन किन के हस्ताक्षर थे। महेश अ0सा0 5 भी कण्डिका 3 में यह बताने में अस्मर्थ है कि नमूना सील लगाई थी या नहीं। ऐसे में साधारण रूप से बाजार में उपलब्ध होने वाली वस्तु के संबंध में उसकी अनन्यता को सुनिश्चित किए जाने हेतु अभिलेख पर युक्तियुक्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में प्रपी0 5 की जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के संबंध में कोई निष्कर्ष दिया जाना सुरक्षित नहीं है। साक्षी रमेशसिंह अ0सा0 3 अनुसंधानकर्ता हैं। प्र0पी0 4 की प्राथमिकी अनुसंधान हेतु प्राप्त होने का कथन करते हैं। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करते हैं कि प्र0पी0 4 में उनका नाम लेख नहीं है बल्कि प्र0आर0 प्रहलाद शर्मा का नाम लेख है। इसके बावजूद उनके द्वारा किस प्रकार से अनुसंधान किया गया इसके संबंध में कोई युक्तिसंगत उत्तर देने में अस्मर्थ रहे हैं। प्र0पी0 4 की प्राथमिकी दिनांक 23.03.16 को लेख होने के पश्चात अनुसंधान कार्यवाही 26.03.16 को किया जाना बताई है। उक्त विलंब का भी कोई कारण साक्षी बताने में अस्मर्थ रहे हैं और यह भी बताने में अस्मर्थ रहे हैं कि उक्त डायरी 3 दिन तक किसके पास विवेचना हेतु रही।

13. प्रकरण में कल्यानसिंह अ0सा0 2 के अनुसार अभियुक्त आरटीओ बैरियर के पास हाईवे रोड पर पूर्व दिशा की ओर खड़ा था। सैनिक महेश अ0सा0 5 ने कथन किया है कि घटनास्थल भिण्ड ग्वालियर हाईवे के किनारे है और स्वीकार किया है वहां हमेशा लोगों का आना जाना बना रहता है। यह भी कथन किया है कि जिस समय कार्यवाही की गयी उस समय जनता के लोग मौजूद थे किन्तु यह याद न होना बताते हैं कि प्र0आर0 द्वारा किसी व्यक्ति को बुलाया गया या नहीं। प्रकरण में यह तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि दिनांक 23.03.16 को यदि अभियुक्त को सार्वजनिक

स्थान पर गिरफ्तार व उसके आधिपत्य से जब्ती की गयी होती तो स्वतंत्र व्यक्ति उपस्थित होने पर भी उन्हें साक्षी न बनाया जाना अभियोजन के मामले के प्रति संदेह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त जब्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य स्वयं विरोधाभासी होकर उसके विभाग के सैनिक महेश के कथन से पारस्परिक विरोधाभासपूर्ण होना अभिलेख पर मौजूद है।

14. इस प्रकार से प्रकरण में अभियोजन के मामले में तात्विक विरोधाभास एवं विसंगतियां मौजूद हैं। दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 21.01.16 को समय 20:40 बजे, एस0आर0एफ0 तिराहा मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में 25 क्वार्टर देशी शराब बिना वैध अनुज्ञा के विक्रय हेतु रखे पाए गए। अतः अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34-1-क के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

16. प्रकरण में जब्तशुदा शराब अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

17. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश